महत्वपूर्ण/ई-मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सख्या—11फ/2020—21/4945 लखनऊ, दिनांकः 30 दिसम्बर, 2020

विषयः—**प्रदेश की निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या—11फ/कैम्प—8396, दिनांक 14.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में कोविड—19 महामारी के दृष्टिगत निजी चिकित्सा इकाईयों एवं नर्सिंगहोम्स आदि के पूर्व में कराये गये रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण को दिनांक 31.12.2020 तक मान्य किये जाने आदेश निर्गत किये गये थे।

उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 03.11.2020 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवृत्त संख्या—1432/पांच—6—2020, दिनांक 04.11.2020 पर महानिदेशालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या—11फ/2020—21/5924—25, दिनांक 11.11.2020, जो समस्त मण्डलीय अपर निदेशक एवं समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्यवृत्त के बिन्दु—1 में शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सभी निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाईयों एवं निदान केन्द्रों इत्यादि का पंजीकरण/नवीनीकरण ऑनलाईन ही किया जाय एवं मैनुअल व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाय।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त समयसीमा समाप्त होने को ध्यान में रखते हुए समस्त निजी चिकित्सा इकाईयों एवं नर्सिंगहोम्स आदि का रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण किया जाना अनिवार्य है। अतः दिनांक 10.01.2021 तक रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की प्रकिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(देवेन्द्र सिंह नेगी)
महानिदेशक

पत्र सख्या—11फ/2020—21/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग—1, 5 एवं 6
5. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6. ओमनी नेट टेक्नोलॉजी प्रा0लि0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0 एवं नर्सिंग होम एसोशिएसन, उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त जिला इकाई, अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0 एवं नर्सिंग होम ऐसाशिएसन—द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

(राकेश कुमार)
अपर निदेशक(चिकित्सा उपचार)

महत्वपूर्ण/ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सख्या–11फ/2020–21/ लखनऊ, दिनांकः 30 दिसम्बर, 2020

विषयः–**प्रदेश की निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–11फ/कैम्प–8396, दिनांक 14.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत निजी चिकित्सा इकाईयों एवं नर्सिंगहोम्स आदि के पूर्व में कराये गये रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण को दिनांक 31.12.2020 तक मान्य किये जाने आदेश निर्गत किये गये थे।

उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 03.11.2020 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवृत्त संख्या–1432/पांच–6–2020, दिनांक 04.11.2020 पर महानिदेशालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या–11फ/2020–21/5924–25, दिनांक 11.11.2020, जो समस्त मण्डलीय अपर निदेशक एवं समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्यवृत्त के बिन्दु–1 में शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सभी निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाईयों एवं निदान केन्द्रों इत्यादि का पंजीकरण/नवीनीकरण ऑनलाईन ही किया जाय एवं मैनुअल व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाय।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त समयसीमा समाप्त होने को ध्यान में रखते हुए समस्त निजी चिकित्सा इकाईयों एवं नर्सिंगहोम्स आदि का रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण किया जाना अनिवार्य है। अतः दिनांक 10.01.2021 तक रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की प्रकिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
महानिदेशक

पत्र सख्या–11फ/2020–21/4946-54 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–1, 5 एवं 6
5. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6. ओमनी नेट टेक्नोलॉजी प्रा0लि0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0 एवं नर्सिंग होम एसोशिएसन, उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त जिला इकाई, अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0 एवं नर्सिंग होम ऐसाशिएसन–द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

(राकेश कुमार)
अपर निदेशक(चिकित्सा उपचार)

ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0- 11फ / कैम्प- 8396 लखनऊ दिनांक: 14 मई, 2020

विषयः–प्रदेश में कोविड–19 की महामारी के कारण निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–11फ/कैम्प–8177, दिनांक 16.04.2020 जिसके द्वारा प्रदेश में जनपद स्तर पर निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण में कठिनाई के दृष्टिगत पूर्व में कराया गया रजिस्ट्रेशन दिनांक 30.06.2020 तक मान्य किये जाने आदेश निर्गत किये गये थे।

2– उक्त संदर्भित पत्र के कम में आज दिनांक 14.05.2020 को शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2020 को आहूत बैठक में सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में कोविड–19 की महामारी के दृष्टिगत निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के लिए पूर्व में कराये गये रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण को दिनांक 30.06.2020 तक किये जाने की अवधि को 06 माह अर्थात दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रुकुम केश)
महानिदेशक

पत्र सं0–11फ / कैम्प तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0, चिकित्सा अनुभाग–1, 5 एवं 6
3. निदेशक(संचारी रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0/नर्सिंग होम एसोशिएसन, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त जिला इकाई, अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0/नर्सिंग होम ऐसाशिएसन, उ0प्र0–द्वा संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

(राकेश कुमार)
अपर निदेशक(चिकित्सा उपचा

New DMC | 2019-20

"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" के अन्तर्गत रिफार्म एरिया के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित निम्नलिखित 02 रिफार्म एरिया पर कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03.11.2020 समय 4.00 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः—

1. डा0 वसन्त कुमार, अधिशासी निदेशक, यू.पी.टी.एस.यू.।
2. डा0 मूत्थु कुमार स्वामी, विशेष सचिव, औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन।
3. डा0 डी.एस.नेगी, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. डा0 राकेश कुमार, (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. डा0 एस.के. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6. डा0 अजय सिंह कश्यप, परियोजना निदेशक, यू.पी.एल.सी.।

प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में बैठक दिनांक 16.09.2020 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार—विमर्श करते हुए निम्नवत् निर्देश दिये गयेः—

1. मैनुअल रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को समाप्त कर यू.पी.हेल्थ इन के माध्यम से आन लाइन रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये/यू.पी. एल.सी. के द्वारा पूर्ण कर लिये जाने पर बधाई दी गयी।
2. पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट में संशोधन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्रभावी अनुश्रवण कर प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।

   (कार्यवाही—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/यू.पी.टी.एस.यू.)
3. क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट में प्रस्तावित संशोधन की कार्यवाही महानिदेशालय द्वारा पूर्ण करते हुए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

   (कार्यवाही—महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें)
4. पी.सी. पी.एन.डी.टी. का कियान्वयन अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बन्ध में एन.एच.एम./यू.पी.टी.एस.यू. से एक माह के उपरान्त भी प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने पर यह निर्देश दिया गया कि अनुश्रवण कर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

   (कार्यवाही—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

Dr SK Srivastav

अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

आलोक कुमार—II
प्रमुख सचिव।

Ashu@Karywahi

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–6
संख्या– 1432/पांच–6–2020
लखनऊ : दिनांक 04 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक (चिकित्सा, उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, यू0पी0एल0सी0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र संख्या–11फ/2020–21/5924-25 लखनऊ, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपिः–उपरोक्त शासनादेश संख्या–1432/पांच–6–2020, दिनांक 04.11.2020 द्वारा जारी उपरोक्त कार्यवृत्ति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को उपरोक्त कार्यवृत्ति के बिन्दु संख्या–1 में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में निर्देशित किया जाता है कि सभी निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाईयों एवं निदान केन्द्रों इत्यादि का पंजीकरण/नवीनीकरण ऑनलाईन ही किया जाय एवं मैनुअल व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाय।

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
महानिदेशक

New DMC Letter 2020-21